B. A. Part-1 Sociology (Hons.) Paper-I **(Dr. Pramod Gandhi-03/04/2020)**
&

B. A. Part-1 Sociology (Subsidiary) Paper

समुदाय और समाज में अन्तर

क्र. सं.	समुदाय	समाज
1	समुदाय व्यक्तियों का एक समूह है।	समाज सामाजिक संबंधों का जाल है।
2	व्यक्तियों का समूह होने के कारण समुदाय मूर्त्त है।	सामाजिक संबंधों का जाल होने के कारण समाज अमूर्त्त है।
3	समुदाय के लिए निश्चित क्षेत्र या भू–भाग का होना आवश्यक है।	समाज के लिए निश्चित क्षेत्र का होना आवश्यक नहीं है। समाज विशेष के सदस्य अलग–अलग क्षेत्रों में बिखरे हो सकते हैं।
4	समुदाय के लिए सामुदायिक भावना अत्यन्त आवश्यक है। समुदाय में सहयोगी सामाजिक संबंधों पर विशेष जोर दिया जाता है।	समाज के लिए सामुदायिक भावना आवश्यक नहीं है। समाज में सहयोगी और असहयोगी दोनों ही प्रकार के सामाजिक संबंध पाये जाते हैं।
5	समुदाय का अपना एक विशिष्ट नाम होता है।	समाज का अपना कोई नाम नहीं होता है।
6	समुदाय समाज का एक भाग है। एक समुदाय में एक से अधिक समाज नहीं हो सकते।	समाज व्यापक है। समाज में कई समुदाय हो सकते हैं।
7	समुदाय की प्रकृति क्षेत्रीय या स्थानीय है। इसमें अनेक समूह, समितियां, संघ आदि होते हैं। समुदाय को विभिन्न भागों में बांटकर अध्ययन किया जा सकता है।	समाज की प्रकृति समग्रता या सम्पूर्णता की होती है जिसे विभिन्न भागों में बांटकर नहीं समझा जा सकता है।

घरेलू हिंसा के समाधान के उपाय

- शोधकर्त्ताओं के अनुसार, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि घरेलू हिंसा के सभी पीड़ित आक्रामक नहीं होते हैं। हम उन्हें एक बेहतर वातावरण उपलब्ध कराकर घरेलू हिंसा के मानसिक विकार से बाहर निकाल सकते हैं।
- भारत अभी तक हमलावरों की मानसिकता का अध्ययन करने, समझने और उसमें बदलाव लाने का प्रयास करने के मामले में पिछड़ रहा है। हम अभी तक विशेषज्ञों द्वारा प्रचारित इस दृष्टिकोण की मोटे तौर पर अनदेखी कर रहे हैं कि महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाली हिंसा और भेदभाव को सही मायनों में समाप्त करने के लिए हमें पुरूषों को न केवल समस्या का एक कारण बल्कि उन्हें इस मसले के समाधान के अविभाज्य अंग के तौर पर देखना होगा।
- सुधार लाने के लिए सबसे पहले कदम के तौर पर यह आवश्यक होगा कि पुरूषों को महिलाओं के खिलाफ रखने के स्थान पर पुरूषों को इस समाधान का भाग बनाया जाए। मर्दानगी की भावना को स्वस्थ मायनों में बढ़ावा देने और पुराने घिसे–पिटे ढर्रे से छुटकारा अनिवार्य होगा।
- सरकार ने महिलाओं और बच्चों को घरेलू हिंसा से संरक्षण देने के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 को संसद से पारित कराया है। इस कानून में निहित सभी प्रावधानों का पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए यह समझना जरूरी है कि पीड़ित कौन है। यदि किसी महिला के रिश्तेदारों में कोई व्यक्ति उस महिला के प्रति दुर्व्यवहार करता है तो वह महिला इस अधिनियम के तहत पीड़ित है।
- मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 2017 द्वारा भारत मानसिक स्वास्थ्य के प्रति गंभीर हो गया है, लेकिन इसे और अधिक प्रभावशाली बनाने की आवश्यकता है। नीति निर्माताओं को घरेलू हिसां से उबरने वाले परिवारों को पेशेवर मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उपलब्ध कराने के लिए तंत्र विकसित करने की जरूरत है।
- सरकार ने 'वन–स्टॉप सेंटर' जैसी योजनाएं प्रारंभ की हैं, जिनका उद्देश्य हिंसा की शिकार महिलाओं की सहायता के लिए चिकित्सीय, कानूनी और मनोवैज्ञानिक सेवाओं की एकीकृत रेंज तक उनकी पहुंच को सुगम व सुनिश्चित करता है।
- महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व मानवाधिकार संगठन ''ब्रेकथ्रू'' द्वारा घरेलू हिंसा के खिलाफ ''बेल बजाओ'' अभियान चलाया गया। यह अभियान महिलाओं के साथ होने वाली घरेलू हिंसा से निपटने के लिए निजी स्तर किये गए शानदार प्रयास थे। आज एन. जी. ओ. को भी महिलाओं के साथ होनेवाली हिंसा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए आगे आने की आवश्यकता है।